



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(36)पुनर्गठन/विधि/पंरा/2024/885

जयपुर, दिनांक: 28-12-2025

::अधिसूचना::

विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.15(36)पुनर्गठन/विधि/पंरा/2024/799 दिनांक 20.11.2025 जिला पाली की ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन बाबत दिनांक 21.11.2025 को राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 6(ग) में प्रकाशित अधिसूचनाओं में लिपिकीय त्रुटिवश गलत प्रकाशन होने की वजह से व प्राप्त अभ्यावेदनों के निस्तारण पश्चात, निम्नानुसार अंकित विवरण के अनुसार एतद्वारा संशोधन कर शुद्धि पत्र जारी किया जाता है:-

नीचे दिये गये कॉलम संख्या 6 में अंकित विवरण के स्थान पर कॉलम 7 में अंकित विवरण को सही समझ कर पढ़ा जाये।

ग्राम पंचायतों हेतु

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	राजपत्र पृष्ठ संख्या	क्र.सं.	कॉलम संख्या	पूर्व प्रकाशित विवरण	संशोधित विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	बाली	1184	23	5	3. रेलिया	विलोपित
2	बाली	1184	27	5		3. रेलिया
3	बाली	1181	4	5	3. सादलवा	विलोपित
4	बाली	1182	6	5		3. सादलवा

राज्यपाल की आज्ञा से


28/12/2025
(डॉ० जोगा राम)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान ।
2. अति. मुख्य सचिव मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान ।
7. समस्त जिला कलेक्टर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
9. विकास अधिकारी, समस्त, राजस्थान ।
10. रक्षित पत्रावली।

9.12.20
28/12/2020
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव
(प्रथम)